झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका – 7261/2013

कारू राम उर्फ कारू सिंह ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोयला भवन के माध्यम से। डाकघर - कोयला नगर, थाना - सरायढेला, जिला धनबाद।
2. निदेशक (कार्मिक), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, डाकघर - कोयला नगर, थाना - सरायढेला, जिला धनबाद।
3. महाप्रबंधक, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, पुटकी बलिहारी क्षेत्र, डाकघर - कुसुंडा, थाना - पुटकी, जिला धनबाद.

..... **प्रतिवादी**

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन.पाठक

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
सुश्री अदिति डोंगरावत, अधिवक्ता

11/13.02.2024: याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार कंपनी के सभी अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि को तुरंत सही करें।

2. अनावश्यक विवरण को छोड़कर याचिकाकर्ता को मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की केंदुआडीह कोलियरी में माइनर/लोडर के पद पर 23.07.1979 को नियुक्त किया गया। इसके बाद से वह ईमानदारी एवं लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी बीसीसीएल में नियुक्ति के पूर्व उसने वर्ष 1974 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, जिसमें उसकी जन्मतिथि 01.05.1957 अंकित थी। चूंकि वह मैट्रिक पास

था, इसलिए उसने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई अन्य नौकरी सौंपने के लिए 16.04.1982 को उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक, बीसीसीएल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके जवाब में उप सीएमई, केंदुआडीह कोलियरी, बीसीसीएल के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय आदेश दिनांक 25.11.1983 द्वारा याचिकाकर्ता को 6 पिट केंदुआडीह में मुंशी के पद पर काम करने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि चूंकि उसके दिनांक 25.05.1983 के अभ्यावेदन में सेवा अंश में एक काल्पनिक जन्मतिथि अंकित थी, इसलिए उसने प्रतिवादी से उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि सही करने का अनुरोध किया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब प्रतिवादियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उसे पता चला कि उसकी जन्मतिथि सही नहीं की गई थी, क्योंकि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र कारू सिंह, पुत्र राम टहल सिंह के नाम पर था, जबकि कंपनी के आधिकारिक रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम कारू राम, पिता टहल राम दर्ज है। इसके बाद, उसने 13.09.2013 को एक हलफनामा दिया और प्रतिवादियों के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि कारू राम और कारू सिंह एक ही व्यक्ति हैं। उक्त हलफनामे में याचिकाकर्ता ने यह भी वचन दिया कि यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी झूठी और मनगढ़ंत पाई जाती है, तो वह मेसर्स को मुआवजा देने के अलावा आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा। हलफनामा स्वीकार करने में यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई बीसीसीएल से करें। यहां तक कि चौपारण के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी अपने दिनांक 18.09.2013 के प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया है कि कारू राम, पिता स्वर्गीय टहल राम और कारू सिंह, पिता स्वर्गीय राम टहल सिंह एक ही व्यक्ति हैं। इसके बावजूद प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि सही करने के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने ही सेवा अंश में गलत जन्मतिथि दर्ज की है, जबकि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार उनकी जन्मतिथि 01.05.1957 थी, जिसका उल्लेख सेवा विशेषज्ञों में किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी अधिकारियों का यह दायित्व था कि वे उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित याचिकाकर्ता की जन्मतिथि को सही करते। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि प्रतिवादियों ने कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए याचिकाकर्ता अपनी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि से पहले ही सेवानिवृत्त हो गया, जिसके लिए

उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे सेवा अंश में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता की जन्मतिथि बदलें और शेष सेवा अवधि के लिए याचिकाकर्ता को लाभ प्रदान करें।

4. प्रतिपक्ष में प्रति-शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध करते हुए प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में शामिल मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। अनेक निर्णयों में यह निर्णय लिया गया है कि सेवा के अंतिम समय में जन्म तिथि में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। नियोक्ता और कर्मचारी को सेवा के अंतिम समय में जन्म तिथि में कोई सुधार करने से रोका जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा पुस्तिका खोली गई, जिसमें उसकी जन्म तिथि 23.07.1979 को 25 वर्ष दर्ज थी तथा याचिकाकर्ता द्वारा उस पर अपने हस्ताक्षर करके इसे सही माना गया है। यहां तक कि संपूर्ण सेवा अंश में भी याचिकाकर्ता की उक्त जन्म तिथि अंकित थी तथा उसने इसे स्वीकार कर लिया तथा इसमें सुधार के लिए कभी अधिकारियों से संपर्क नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने 34 वर्ष से अधिक की सेवा देने के बाद ही प्राधिकारियों से संपर्क किया है, इसलिए रिट याचिका देरी के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा सम्पूर्ण अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात्, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निम्नलिखित कारणों से रिट याचिका में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है:-

(i) याचिकाकर्ता ने जन्म तिथि के सम्बन्ध में विवाद पहली बार वर्ष 2013 में अर्थात् मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात उठाया है, जबकि उसकी नियुक्ति वर्ष 1979 में ही हुई थी, अर्थात् लगभग 34 वर्ष बीत जाने के पश्चात।

(ii) मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र के अनुसार जन्म तिथि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता का दावा इस आधार पर इस न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाता है कि उसने बिना किसी संकोच तथा विरोध के 34 वर्ष से अधिक की सेवा की है तथा वर्ष 2013 में उसने पहली बार अपनी जन्म तिथि के सम्बन्ध में विवाद उठाया है। पक्षकारों द्वारा किया गया कोई भी समझौता वैधानिक रूप से मान्य होता है तथा एक बार पक्षकारों द्वारा समझौते पर सहमति हो जाने के पश्चात, पक्षकारों द्वारा उसे चुनौती नहीं दी

जा सकती।

(iii) याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका अपने सेवाकाल के अंतिम समय में दायर की है, क्योंकि उसे वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त होना था और तत्काल रिट याचिका वर्ष 2013 में दायर की गई है।

(iv) इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम हरनाम सिंह के मामले में, (1993) 2 एससीसी 162** में रिपोर्ट किया कि "कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों से वंचित हैं।"

(v) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और अन्य बनाम टी.टी. मुरली बाबू के मामले में, (2014) 4 एससीसी 108** में रिपोर्ट किया, निम्नानुसार माना है:

> "इस प्रकार, देरी और लापरवाही के सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। रिट कोर्ट को दिए गए स्पष्टीकरण और उसकी स्वीकार्यता को तौलना आवश्यक है। कोर्ट को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक असाधारण और न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। एक संवैधानिक कोर्ट के रूप में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, लेकिन साथ ही उसे इस प्राथमिक सिद्धांत पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी मर्जी से कोर्ट में आता है, तो कोर्ट का यह कानूनी दायित्व होगा कि वह इस बात की जांच करे कि देरी से की गई शिकायत पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं। ध्यान रहे, देरी न्याय के रास्ते में आती है। कुछ परिस्थितियों में देरी और लापरवाही घातक नहीं हो सकती है, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में अत्यधिक देरी केवल उस वादी के लिए आपदा को आमंत्रित करेगी जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। देरी एक वादी की निष्क्रियता और निष्क्रियता को दर्शाती है - एक वादी जो बुनियादी मानदंडों को भूल गया है, अर्थात्, "विलंब समय का सबसे बड़ा चोर है" और दूसरा, कानून किसी को फीनिक्स की तरह सोने और उठने की अनुमति नहीं देता है। देरी से खतरा पैदा होता है और लिस को नुकसान होता है। इस मामले में, हालांकि अदालत में जाने में चार साल की देरी हुई है, फिर भी रिट कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या इस तरह की भारी देरी को बिना किसी औचित्य के नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, इस तरह के विलंबित दृष्टिकोण का अधिक महत्व है क्योंकि प्रतिवादी कर्मचारी अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से लापरवाह है और जिम्मेदारी के प्रति उदासीन रवैया अपनाते हुए किसी तरह के अस्वस्थता के बहाने अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। हम दोहराव की

कीमत पर दोहराते हैं कि इस तरह की देरी के प्रति निर्दोष रूप से अनजान बने रहना न्याय के कारण को बढ़ावा नहीं देता है। इसके विपरीत, यह अन्याय लाता है, क्योंकि इससे दूसरों पर असर पड़ने की संभावना है। इस तरह की देरी से दूसरों के परिपक्व अधिकारों पर असर पड़ सकता है और दूसरों को अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी में घसीटा जा सकता है, जिसे स्वीकार्य संभावना के दायरे में अंतिम रूप दिया जा सकता है। अदालत से ऐसे आलसी व्यक्तियों को रियायत देने की उम्मीद नहीं की जाती है - जो 'कुंभकर्ण' या उस मामले में 'रिप वान विंकल' के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारी राय में, इस तरह की देरी किसी भी रियायत के लायक नहीं है और केवल उक्त आधार पर रिट कोर्ट को याचिका को बिल्कुल सीमा पर ही फेंक देना चाहिए था।

(vi) माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में माना है कि सेवाकाल के अंतिम चरण में सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि में परिवर्तन का अनुरोध संधारणीय नहीं है। **तमिल नाडु राज्य बनाम टी.वी. वेणुगोपालन (1994) 6 एससीसी 302** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत था कि सरकारी कर्मचारी को अपने सेवाकाल के अंतिम चरण में जन्मतिथि में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने अत्यंत कड़े शब्दों में निम्नांकित टिप्पणी की:-

> ".....सरकारी कर्मचारी ने सेवा रजिस्टर में दर्ज अपनी जन्मतिथि को सही घोषित कर दिया है, उसे अपने सेवाकाल के अंत में सेवा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

(vii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सचिव एवं आयुक्त, गृह विभाग एवं अन्य बनाम आर. किरुबाकरण, 1994 अनुपूरक (1) एससीसी 155** में रिपोर्ट किए गए मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:

> "7. जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन [किसी लोक सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता]। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के लिए दिए गए किसी भी निर्देश की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके नीचे वर्षों से अपनी-अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे अन्य अधिकारी प्रभावित होते हैं। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, क्योंकि जन्मतिथि में सुधार के कारण संबंधित अधिकारी, कुछ मामलों में वर्षों तक पद पर बना रहता है, जिसके दौरान वरिष्ठता में उससे नीचे के कई अधिकारी, जो अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति खो सकते हैं। ...हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे न्यायालय या

> न्यायाधिकरण द्वारा किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में शिकायत की जांच करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जब तक कि प्रतिवादी द्वारा ऐसी सामग्री के आधार पर स्पष्ट मामला नहीं बनाया जाता है जिसे प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, तब तक न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसी सामग्री के आधार पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो ऐसे दावे को केवल प्रशंसनीय बनाती है। ऐसा कोई भी निर्देश जारी करने से पहले, न्यायालय या न्यायाधिकरण को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है और जन्म तिथि में सुधार के लिए उसका दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और किसी भी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। ... आवेदक पर यह साबित करने का दायित्व है कि उसकी सेवा पुस्तिका में उसकी जन्म तिथि गलत दर्ज की गई है।

(viii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी. माधवनकुट्टी एवं अन्य के मामले में (2000) 2 एससीसी 455** में रिपोर्ट की गई, जो पुराने दावे से संबंधित मुद्दे से संबंधित है, यह माना है कि, उक्त विवाद को विलम्बित चरण में संदर्भित करना कानून की दृष्टि में देरी के साथ-साथ औद्योगिक विवाद के अस्तित्व न होने के आधार पर भी गलत है।

(ix) माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने **अजीत सिंह बनाम मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड**, जमशेदपुर के मामले में **डब्ल्यू.पी.(एल) संख्या 1251/2010** में निर्णय दिया कि "यदि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति लापरवाह हैं और सतर्क नहीं हैं, तो न्यायालय उनके बचाव/सहायता के लिए नहीं आ सकता और केवल इसलिए राहत प्रदान नहीं कर सकता कि वे नियमों से अनभिज्ञ थे।"

6. उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, कानूनी प्रस्तावों और न्यायिक घोषणाओं के अनुक्रम में, यह रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया गया है।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन.पाठक)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।